C. S. (MAIN) EXAM, 2009

Sl. No. 542

C–DTN–J–MBA

LAW

Paper—I

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No marks will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

Candidates should attempt Question Nos. **1** *and* **5** *which are compulsory, and any* **three** *of the remaining questions selecting at least* **one** *question from each Section.*

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है।

Section—A

1. Answer any *three* of the following (each answer should be in about *200* words) :

20×3=60

(a) Differentiate between 'Federal Constitution' and 'Federal Government'. Based on judicial pronouncements and your perception of the working of our Constitution, comment on whether India has a Federal Government or a Federal Constitution.

(b) "There is still a controversy whether 'Reasoned Decisions' comprise a third pillar of natural justice."

Do you agree with this statement? Discuss with reference to recent case laws.

(c) Define and distinguish between 'formal equality' and 'substantive equality' as interpreted by the Apex Court of the country.

(d) How would you judge the constitutional validity of an Amendment giving primacy to the executive in the matter of appointment of the judges of the Supreme Court and High Courts?

खण्ड—क

1. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग *200* शब्दों में होना चाहिए) : 20×3=60

(क) 'परिसंघीय संविधान' और 'परिसंघीय सरकार' के बीच विभेदन कीजिए। न्यायिक निर्णयों के आधार पर और हमारे संविधान के कार्यण के बारे में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर टिप्पणी कीजिए कि क्या भारत की परिसंघीय सरकार है या कि उसका एक परिसंघीय संविधान है।

(ख) ''यह विवाद अभी भी जारी है कि क्या 'तर्कयुक्त निर्णय' नैसर्गिक न्याय के तृतीय स्तम्भ का कार्य करते हैं अथवा नहीं।''

क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाल की निर्णयज विधियों के हवाले से इस पर चर्चा कीजिए।

(ग) 'प्ररूपिक समता' और 'सारभूत समता' की व्याख्या जिस रूप में देश के शीर्षस्थ न्यायालय ने की है, उसी रूप में उनकी परिभाषाएँ दीजिए और उनके बीच विभेदन भी कीजिए।

(घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका को प्रमुखता देने वाले संशोधन की सांविधानिक विधिमान्यता का आप किस प्रकार निर्णय करेंगे?

2. *(a)* "By evolving the concept of jurisdictional facts, the Courts have broadened the power of judicial review of administrative action."

Discuss this statement and compare the extent of judicial review of administrative action over jurisdictional facts and ordinary facts. 30

(b) "The term 'freedom of speech and expression' in Article 19(1)(a) has been held to include the right to acquire information and disseminate the same."

Elucidate the import of this statement in the context of media industry. Is the right to paint or sing or dance covered by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution or not? 30

3. *(a)* "The Directive Principles which have been declared to be 'fundamental' in the governance of the country cannot be isolated from Fundamental Rights." Explain critically. Also throw light with reference to recent judgments on the Supreme Court's view as regards the interplay of Directive Principles and Fundamental Rights. 30

(b) Spell out the object and reasons of Part IV A of the Constitution of India. Do you support this addition to the Constitution of India? Give reasons and also suggest some effective measures to make these provisions more realistic and operational. 30

2. (क) ''अधिकारिता तथ्यों की संकल्पना का विकास करने के द्वारा न्यायालयों ने प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का विस्तार कर लिया है।''

इस कथन पर चर्चा कीजिए और अधिकारिता तथ्यों तथा साधारण तथ्यों पर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनरीक्षण की सीमा की तुलना कीजिए। 30

(ख) ''अनुच्छेद 19(1)(a) में 'वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' शब्द के अर्थ में सूचना प्राप्त करने और सूचना प्रसारित करने के अधिकार को शामिल माना गया है।''

मीडिया उद्योग के सन्दर्भ में इस कथन के महत्त्व को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। क्या चित्र बनाने या गाना गाने या नृत्य करने के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) की व्याप्ति में आते हैं अथवा नहीं? 30

3. (क) ''निदेशक तत्त्वों को, जिनको देश के शासन में 'मूल' घोषित किया गया है, मूल अधिकारों से विलग नहीं किया जा सकता है।'' इस बात को समालोचनापूर्वक स्पष्ट कीजिए। साथ ही हाल के निर्णयों का हवाला देते हुए निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों के बीच की अन्योन्यक्रिया के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। 30

(ख) भारत के संविधान के भाग IV A के उद्देश्य और कारणों को विस्तार से समझाइए। क्या आप भारत के संविधान में इसके जोड़े जाने का समर्थन करते हैं? कारण प्रस्तुत कीजिए और साथ ही इन उपबन्धों को अधिक यथार्थवादी और संक्रियात्मक बनाने के कुछ प्रभावी उपाय सुझाइए। 30

4. Write short notes on/Answer the following : 20×3=60

(a) Scope of the Right with regard to self-incrimination

(b) Indian ombudsman—unfulfilled dream

(c) "Powers of Election Commission are not sufficient." Comment.

Section—B

5. Answer any *three* of the following (each answer should be in about *200* words) : 20×3=60

(a) Define and distinguish between 'arbitration' and 'judicial settlement' in the context of the rules of International Law. Also mention the relevant provisions regarding 'forum prorogatum'.

(b) "Humanitarian Law is no longer Geneva and the Hague Law but transcends these conventions to reach cosmic stature and seek expression through the United Nations and other transnational instruments."

Discuss with reference to growth and development of International Humanitarian Law in the present century.

4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए/निम्नलिखित के उत्तर दीजिए : 20×3=60

(क) आत्म-अभियोग के सम्बन्ध में अधिकार का विस्तार

(ख) भारत का ऑम्बड्समैन—अपरिपूरित स्वप्न

(ग) "चुनाव आयोग की शक्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं।" टिप्पणी कीजिए।

खण्ड—ख

5. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग *200* शब्दों में होना चाहिए) : 20×3=60

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के सन्दर्भ में 'माध्यस्थम्' और 'न्यायिक समझौता' की परिभाषा दीजिए और उनके बीच विभेदन कीजिए। साथ ही 'फोरम प्रोरोगेटम' के सम्बन्ध में प्रासंगिक उपबन्धों का उल्लेख कीजिए।

(ख) "लोकोपकारी विधि अब जेनेवा और हेग विधि नहीं रही है, परन्तु वैश्विक कद पर पहुँचने और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों के माध्यम से अभिव्यक्ति की खोज में, वह उन अभिसमयों को लांघकर आगे बढ़ गई है।"
वर्तमान शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी विधि की संवृद्धि और विकास का उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कीजिए।

(c) "A human rights violation is now conceived as a violation not only of those personally and directly aggrieved but of everybody."

Examine critically the above statement with reference to present scenario of our country and rest of the world.

(d) "In practice the relationship between International Law and Municipal Law exists in the mixture of International Law supremacy, Municipal Law supremacy and a coordination of legal system."

Comment on the aforesaid statement of Edward Collins in the context of the relationship between International Law and Municipal Law.

6. (a) Examine critically the different views regarding the recognition of States, highlighting the legal consequences of acts of recognition and policies of non-recognition. Also mention the difference between 'express recognition' and 'implied recognition'. 30

(b) Enumerate the main features of International Criminal Court. What credit would you attribute to the functioning of this Court? What are the major drawbacks of this Court? Discuss, in this context, the possible amendments to the Regulations of the International Criminal Court. 30

(ग) ''अब मानवाधिकार के उल्लंघन को न केवल व्यथित के व्यक्तिगत रूप से और सीधे उल्लंघन के रूप में बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के उल्लंघन के रूप में समझा जाता है।''

हमारे देश और बाकी विश्व के वर्तमान परिदृश्य का हवाला देते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(घ) ''व्यवहार रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि के बीच का सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सर्वोच्चता, देशीय विधि की सर्वोच्चता और विधिक तंत्र के समन्वयन के मिश्रण के रूप में विद्यमान है।''

अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि के बीच के सम्बन्ध के सन्दर्भ में एड्वर्ड कोलिंस के उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए।

6. (क) राज्यों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित विभिन्न विचारों का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। ऐसा करने में, मान्यता प्रदान करने के कृत्यों के और मान्यता प्रदान न करने की नीतियों के विधिक परिणामों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए। साथ ही 'अभिव्यक्त मान्यता' और 'विवक्षित मान्यता' के बीच अन्तर का उल्लेख कीजिए। 30

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय के प्रमुख अभिलक्षण गिनाइए। आप इस न्यायालय के प्रकार्यण को क्या श्रेय देंगे? इस न्यायालय की प्रमुख कमियाँ क्या-क्या हैं? इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय के विनियमों में सम्भव संशोधनों पर चर्चा कीजिए। 30

7. *(a)* Would you support the idea of the general review of the United Nations Charter? Give reasons. Also give your opinion about the continuity of the 'Veto System'. What is the stand of India in these respects? 30

(b) Explain critically the principle of 'jus cogens'. Distinguish between 'Equal Treaties' and 'Unequal Treaties'. Give examples and also discuss the salient features of Vienna Convention on the Law of Treaties. 30

8. Write short notes on the following : 20×3=60

(a) Sanctions of International Law

(b) 'Piracy jure gentium' on High Seas

(c) Manila Declaration, 1982

7. (क) क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सामान्य पुनरीक्षण के विचार का समर्थन करेंगे? कारण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही 'वीटो प्रणाली' की निरंतरता के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कीजिए। इन विषयों में भारत का क्या दृढ़ विचार है? 30

(ख) 'जस कोजेंस' के सिद्धान्त को समालोचनापूर्वक स्पष्ट कीजिए। 'समतावादी संधियों' और 'असमतावादी संधियों' के बीच विभेदन कीजिए। उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और साथ ही संधियों की विधि पर वियना अभिसमय के प्रमुख अभिलक्षणों पर चर्चा कीजिए। 30

8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : $20 \times 3 = 60$

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अनुशास्तियाँ

(ख) महासमुद्र में 'पाइरेसी ज्यूरे जेंटियम'

(ग) मनीला घोषणा, 1982

★ ★ ★

C–DTN–J–MBA

विधि

प्रश्न-पत्र—I

समय : तीन घण्टे	पूर्णांक : 300

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या ***1*** *और* ***5*** *अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम* ***एक*** *प्रश्न चुनकर किन्हीं* ***तीन*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अन्त में दिए गए हैं।

Note : English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.